**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 929**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य परियोजनाओं में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी**

**929.** **श्री मीर मोहम्मद फ़ैयाज:**

**श्री नज़ीर अहमद लवाय:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय एड्रस नियंत्रण कार्यक्रम जैसी योजनाओं के अन्तर्गत अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों/चिकित्सकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में लगातार 10 वर्षों से अनुबंध आधार पर सेवाएं प्रदान करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार का उनकी सेवाओं को कब तक नियमित करने का विचार है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क): आरएनटीसीपी, एनआरएचएम तथा राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संविदा आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों/डॉक्‍टरों की संख्‍या का विवरण क्रमश: अनुलग्‍नक- I, II और III में दिया गया है।

(ख) और (ग): जन स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य का विषय होने के नाते, कर्मचारियों की सेवाओं को संविदा आधार पर लेने तथा उसका विनियमन करने सहित सभी प्रशासनिक एवं कार्मिक संबंधी मामले जम्‍मू और कश्‍मीर सहित संबंधी राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों के दायरे में आते हैं। एनआरएचएम के तहत केन्‍द्र सरकार ने राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को संविदा आधार पर स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को रखने के लिए सहायता देने सहित उनकी स्‍वास्‍थ्‍य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्‍तीय सहायता मुहैया कराना शुरू किया है। एनआरएचएम/एनएचएम के तहत नियुक्‍त किए जाने वाले नए एचआर, हेतु सहायता केवल संविदात्‍मक स्‍टाफ के लिए दी जाती है क्‍योंकि एनआरएचएम को सीमित अवधि के लिए स्‍वीकृति दी गई थी। इसे मूल रूप से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए स्‍वीकृति दी गई थी। एनआरएचएम तथा राष्‍ट्रीय शहरी स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनयूएचएम) के उप मिशनों सहित एनएचएम की स्‍वीकृति फिलहाल 12वीं योजना के अंत तक अर्थात् मार्च, 2017 तक है।

**अनुलग्‍नक –I**

**आरएनटीसीपी में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या (दिसंबर 2014 के अनुसार)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संस्था** | **आरएनटीसीपी के तहत संविदागत कर्मचारियों की संख्या** |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार | 19 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 532 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 116 |
| 4 | असम | 538 |
| 5 | बिहार | 791 |
| 6 | चंडीगढ़ | 51 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 447 |
| 8 | दादर और नगर हवेली | 13 |
| 9 | दमन और दीव | 1 1 |
| 10 | दिल्ली | 524 |
| 1 1 | गोवा | 36 |
| 12 | गुजरात | 851 |
| 13 | हरियाणा | 319 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 195 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 188 |
| 16 | झारखंड | 379 |
| 17 | कर्नाटक | 779 |
| 18 | केरल | 250 |
| 19 | लक्षद्वीप | 4 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 769 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1895 |
| 22 | मणिपुर | 105 |
| 23 | मेघालय | 72 |
| 24 | मिजोरम | 87 |
| 25 | नगालैंड | 83 |
| 26 | उड़ीसा | 411 |
| 27 | पांडिचेरी | 64 |
| 28 | पंजाब | 393 |
| 29 | राजस्थान | 436 |
| 30 | सिक्किम | 36 |
| 31 | तेलंगाना | 503 |
| 32 | तमिलनाडु | 823 |
| 33 | त्रिपुरा | 47 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2442 |
| 35 | उत्तराखंड | 231 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 1092 |

**अनुलग्‍नक –II**

**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, परा-चिकित्‍सकों, प्रबंध स्टाफ आदि सहित संविदात्‍मक ‘मानव संसाधन’ (दिसंबर 2014 के अनुसार)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ शासित राज्‍य** | **कुल** |
| 1 | बिहार | 15,450 |
| 2 | छत्तीसगढ़ | 2299 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 900 |
| 4 | जम्मू और कश्मीर | 5650 |
| 5 | झारखंड | 6867 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 11,266 |
| 7 | ओडिशा | 5650 |
| 8 | राजस्थान | 12,209 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 16,763 |
| 10 | उत्तराखंड | 1382 |
| 1 1 | अरुणाचल प्रदेश | 848 |
| 12 | असम | 12,383 |
| 13 | मणिपुर | 1226 |
| 14 | मेघालय | 960 |
| 15 | मिजोरम | 886 |
| 16 | नगालैंड | 879 |
| 17 | सिक्किम | 336 |
| 18 | त्रिपुरा | 526 |
| 19 | आंध्र प्रदेश | 9481 |
| 20 | गोवा | 176 |
| 21 | गुजरात | 4108 |
| 22 | हरियाणा | 7683 |
| 23 | कर्नाटक | 6622 |
| 24 | केरल | 4893 |
| 25 | महाराष्ट्र | 14,894 |
| 26 | पंजाब | 5397 |
| 27 | तमिलनाडु | 9134 |
| 28 | तेलंगाना | 6723 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 12,549 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 338 |
| 31 | चंडीगढ़ | 424 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 176 |
| 33 | दमन और दीव | 131 |
| 34 | दिल्ली | 1854 |
| 35 | लक्षद्वीप | 170 |
| 36 | पुडुचेरी | 351 |
| **कुल** | | **181,584** |

**अनुलग्‍नक – III**

**एनएसीपी में संविदात्‍मक स्‍टाफ की राज्य-वार संख्या (दिनांक 20.7.2015 के अनुसार)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **संविदात्मक कर्मचारियों की संख्‍या** | **राज्य मुख्यालय की संख्या** | **सुविधा के स्तर की संख्‍या** | **डाक्‍टरों की संख्‍या** |
|  | पश्चिम बंगाल | 863 | 26 | 837 | 29 |
|  | पंजाब | 448 | 25 | 423 | 45 |
|  | असम | 346 | 39 | 307 | 7 |
|  | अंडमान एवं निकोबार | 51 | 18 | 33 | शून्य |
|  | लक्षद्वीप | 5 | 2 | 3 |  |
|  | गुजरात | 825 | 33 | 792 | 47 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 170 | 16 | 154 | शून्य |
|  | हरियाणा | 379 | 39 | 340 | 6 |
|  | मणिपुर | 309 | 46 | 263 |  |
|  | छत्तीसगढ़ | 311 | 17 | 294 | 5 |
|  | मध्‍य प्रदेश | 610 | 30 | 580 | 20 |
|  | मेघालय | 102 | 25 | 77 | 3 |
|  | केरल | 339 | 39 | 300 | 13 |
|  | मिजोरम | 191 | 42 | 149 | 9 |
|  | चंडीगढ़ | 104 | 20 | 84 | 3 |
|  | महाराष्ट्र | 2272 | 33 | 2239 | 131 |
|  | जम्मू और कश्मीर | 155 | 26 | 129 | 5 |
|  | आंध्र प्रदेश | 1813 | 46 | 1767 | 82 |
|  | उत्तर प्रदेश | 1431 | 42 | 1389 | 46 |
|  | गोवा | 88 | 10 | 78 | 1 |
|  | बिहार | 703 | 33 | 670 | 20 |
|  | उत्तरांचल | 243 | 32 | 211 | 5 |
|  | झारखंड | 220 | 32 | 188 | 4 |
|  | सिक्किम | 87 | 33 | 54 | 3 |
|  | दिल्ली | 523 | 38 | 485 | 15 |
|  | चंडीगढ़ | 104 | 20 | 84 | 3 |
|  | उड़ीसा | 579 | 42 | 537 | 12 |
|  | तमिलनाडु | 2442 | 21 | 2421 | 19 |
|  | कर्नाटक | 1900 | 42 | 1858 | 85 |
|  | नगालैंड | 447 | 49 | 398 | 14 |
|  | मुंबई | 439 | 41 | 398 | 26 |
|  | त्रिपुरा | 138 | 29 | 109 | 6 |
|  | राजस्थान | 618 | 25 | 593 | 12 |
|  | पांडिचेरी | 72 | 14 | 58 | 0 |
|  | दमन और दीव | 18 | 6 | 12 | शून्य |
|  | दादर एवं नागर हवेली | 0 |  | | |
|  | **कुल** | **19,345** | **1031** | **18,314** | **676** |
|  | आंकड़े दादरा एवं नगर हवेली से प्राप्त नहीं हुए हैं। | |  |  |  |